

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौत्तीस '

[10/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 4749]

प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु/घायल होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण
परिशिष्ट-एक
4749

क्रमांक	प्राकृतिक आपदा का विवरण	नियम/निर्देश का विवरण	सहायता राशि	निर्धारित समय सीमा
1	सर्पदंश से मृत्यु पर	आर.बी.सी. 6-4	50000	30 दिवस
2	आसमानी बिजली से मृत्यु होने की दशा में	आर.बी.सी. 6-4	400000	30 दिवस
3	विद्युत करंट से मृत्यु होने पर	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 (म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.09.2008	100000/- एवं 2000/- अन्योद्दि अनुदान	30 दिवस
3	विद्युत करंट से दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 (म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.09.2008	25000/-	30 दिवस
3	विद्युत करंट से दुर्घटना में अंगभंग होने से आंशिक अपंगता पर	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 (म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.09.2008	25000/-	30 दिवस
4	सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर	म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-20/1/2012/1/4 दिनांक 16 जुलाई 2014	15000/-	30 दिवस
5	सड़क दुर्घटना में घायल होने पर	म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-20/1/2012/1/4 दिनांक 16 जुलाई 2014	7500/-	30 दिवस

डिप्टी कलेक्टर

कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)